निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 फाल्गुन 1935 (शo)

(सं0 पटना 314) पटना, शुक्रवार, 21 मार्च 2014

सं0 3-ए-3-भत्ता-03/2014—2643/वि०

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार,
महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ,
पटना।

पटना, दिनांक 20 मार्च 2014

विषय :- **सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों को व्यावहारिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के संकल्प संख्या-6530, दिनांक 31/07/2008 (प्रतिलिपि संलग्न) के संबंध में कहना है कि उक्त पत्र द्वारा विषयांकित पदाधिकारियों को निम्नलिखित सुविधाएँ दी गई:-

(1) निजी वाहन से कार्यालय आने-जाने के लिए प्रतिमाह पेट्रोल/डीजल,

(2) कार्यालय से सम्बन्धित आवश्यक कागजात रखने के लिए ब्रीफकेश; तथा

(3) घरलू सहायता भत्ता।

2. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी शेट्ठी कमीशन और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीशन की अनुशंसा एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में स्वीकृत वेतनमान, भत्तों, पेंशन एवं अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं। इस प्रकार न्यायिक सेवा, राज्य सेवाओं से भिन्न स्वतन्त्र कोटि की सेवा बन गई है।

3. राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों/आयोगों में न्यायिक सेवा के पदाधिकारी भी पदस्थापित होते हैं। इस पदस्थापन के बाद इन पदाधिकारियों को उपर्युक्त संकल्प संख्या-6530, दिनांक 31/07/2008 के द्वारा स्वीकृत सुविधाओं की अनुमान्यता होगी या नहीं, यह सरकार के समीक्षाधीन था।

4. उपर्युक्त संबंध में यह स्पष्ट करना है कि चूँकि न्यायिक सेवा को राज्य सेवाओं से भिन्न अलग कोटि की सेवा मानी गई है और उसके लिए वेतनादि सुविधाएँ उच्चतम न्यायालय के आदेश से स्वीकृत होती है। अतएव, उक्त संकल्प द्वारा स्वीकृत सरकार का निर्णय मात्र गैर न्यायिक राज्य सेवाओं के लिए प्रभावी है।

विश्वासभाजन,

प्रभात शंकर,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 314-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in